



संयुक्त प्रशासनिक सेवा परीक्षा-2023 (CASE-2023)

"अनुभाग अधिकारी (सामान्य/वित्त एवं लेखा/भंडार एवं क्रय)" और "सहायक अनुभाग अधिकारी (सामान्य/वित्त एवं लेखा/भंडार एवं क्रय)" की सीधी भर्ती

विज्ञापन संख्या: ई-1/आरसी/2023/1

रिक्तियों की कुल संख्या: 444

ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने और डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग/यूपीआई के माध्यम से आवेदन शुल्क (ऑनलाइन) भुगतान करने की प्रारंभिक तिथि और समय	08/12/2023 (शुक्रवार) 17:00 बजे
ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि और समय (इसके बाद वेबसाइट लिंक बंद कर दी जाएगी)	12/01/2024 (शुक्रवार) 17:00 बजे
ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि और समय (इसके बाद वेबसाइट लिंक बंद कर दी जाएगी)	14/01/2024 (रविवार) 17:00 बजे
परीक्षा चरण I की संभावित तिथि	फरवरी, 2024
परीक्षा चरण II की संभावित तिथि	सीएसआईआर वेबसाइट पर अधिसूचित की जाएगी
वैध पंजीकृत अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र/बुलावा पत्र जारी करना	सीएसआईआर वेबसाइट पर अधिसूचित की जाएगी

सीएसआईआर के बारे में	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के तहत वर्ष 1942 में स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। यह देश का प्रमुख वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास संगठन है और इसका देश भर में 36 प्रयोगशालाओं, 39 आउटरीच केंद्र, 1 नवोन्मेष परिसर तीन इकाइयों का एक सक्रिय नेटवर्क है। सीएसआईआर देश में वैज्ञानिक एवं तकनीकी जनशक्ति के विकास और पोषण के अपने अधिदेश (मैनडेट) के अनुसरण में, युवा और सक्रिय ज्ञान वाले कार्यबल सहित एक परिवर्तित कार्य संस्कृति की परिकल्पना करता है जो सीएसआईआर में शुरू की गई विविध पहलों को कौशल और समर्थन प्रदान करेगा। सीएसआईआर के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट www.csir.res.in देखें। सीएसआईआर की वृद्धि और विकास के लिए प्रशासन इसका अभिन्न अंग है। निम्नलिखित प्रशासनिक पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
----------------------	---

सीएसआईआर/भारत सरकार एक ऐसा कार्यबल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिंबित होता है और महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

1. रिक्त पदों/अर्हता आदि का विवरण

(क) अनुभाग अधिकारी (सामान्य/वित्त एवं लेखा/भंडार एवं क्रय) रिक्ति कोड: 2023101

पदों की संख्या और आरक्षण की स्थिति	वर्गीकरण और वेतन स्तर/पे मैट्रिक्स	अनिवार्य अर्हता	आयु सीमा
पदों की संख्या: 76 [श्रेणीवार विवरण क्रमांक 2 (क) पर दिया गया है।]	समूह ख (राजपत्रित) वेतन स्तर-8, सेल-1 (रु.47,600-रु.1,51,100)	विश्वविद्यालय डिग्री	33 वर्ष से अधिक नहीं

(ख) सहायक अनुभाग अधिकारी (सामान्य/वित्त एवं लेखा/भंडार एवं क्रय) रिक्ति कोड: 2023102

पदों की संख्या और आरक्षण की स्थिति	वर्गीकरण और वेतन स्तर/पे मैट्रिक्स	अनिवार्य योग्यता	आयु सीमा
पदों की संख्या: 368 [श्रेणीवार विवरण क्रमांक 2 (ख) पर दिया गया है।]	समूह ख (अराजपत्रित) वेतन स्तर - 7, सेल-1 (रु.44,900-1,42,400)	विश्वविद्यालय डिग्री	33 वर्ष से अधिक नहीं

संक्षिप्ति :सामा.: सामान्य; भं.एवं क्र.: भंडार एवं क्रय; वि. एवं ले.: वित्त एवं लेखा

नोट: प्रत्येक रिक्ति कोड के सामने दर्शाई गई रिक्तियों की संख्या अनंतिम है और इसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

पदों/संवर्गों के लिए प्राथमिकता:

अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में पदों अर्थात अनुभाग अधिकारी (अनु.अधि.) और सहायक अनुभाग अधिकारी (स.अनु.अधि.) और संवर्ग अर्थात सामान्य (सामा.), वित्त एवं लेखा (वि.एवं ले.) और भंडार एवं क्रय (भं.एवं क्र.) के लिए अपनी प्राथमिकता देंगे। "चयनित पैनल में से अभ्यर्थियों को संवर्ग अर्थात सामान्य, वित्त एवं लेखा और भंडार एवं क्रय का आवंटन सीएसआईआर द्वारा योग्यता सह वरीयता के आधार पर तय किया जाएगा"।

2.

रिक्ति विवरण

(क) अनुभाग अधिकारी (सामान्य/वित्त एवं लेखा/भंडार एवं क्रय)

पद का नाम	कुल	श्रेणीवार विवरण				
		अजा	अजजा	अपिव	ईडब्ल्यूएस	अनारक्षित
अनु. अधि. (सामा.)	28	4	2	7	2	13
अनु. अधि.(वि.एवं ले.)	26	3	1	7	2	13
अनु. अधि.(भं.एवं क्र.)	22	3	1	5	2	11
कुल योग	76	10	04	19	06	37

(ख) सहायक अनुभाग अधिकारी (सामान्य/वित्त एवं लेखा/भंडार एवं क्रय)

पद का नाम	कुल	श्रेणीवार विवरण				
		अजा	अजजा	अपिव	ईडब्ल्यूएस	अनारक्षित
सहा. अनु. अधि (सामा.)	237	35	17	66	23	96
सहा.अनु. अधि.(वि.एवंले.)	83	12	6	22	8	35
सहा. अनु. अधि.(भं.एवं क्र.)	48	7	3	14	4	20
कुल योग	368	54	26	102	35	151

संक्षिप्ति : अनाः अनारक्षित; अजाः अनुसूचित जाति; अजजाः अनुसूचित जनजाति; अपिवः अन्य पिछड़ा वर्ग; आकवः आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग; पीडब्ल्यूबीडी: बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति; अनु.अधि.: अनुभाग अधिकारी; सहा.अनु.अधि: सहायक अनुभाग अधिकारी

*उपरोक्त 444 (76+368) रिक्तियों में से, 19 पद के निम्नलिखित विवरण सहित 40% से अधिक सम्बद्ध बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित दस्तावेजी प्रमाण साक्ष्य प्रस्तुत करने पर आरक्षित हैं: -

i. दृष्टिहीनता और कम दृष्टि	5 पद
ii. बधिर और कम सुनना	5 पद
iii. सेरेब्रल पाल्सी, उपचारित कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित गतिशीलता दिव्यांगता	5 पद
iv. ऑटिज़्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक बीमारी	4 पद
v. क्लॉज (i) से (iv) के अंतर्गत बधिर-दृष्टिहीनता सहित व्यक्तियों में बहु-दिव्यांगताएं	

- **पीडब्ल्यूबीडी के लिए पदों की उपयुक्तता:** उपरोक्त पद भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित दिव्यांगताओं के लिए उपयुक्त घोषित किए गए हैं:

सहायक अनुभाग अधिकारी और अनुभाग अधिकारी के पद के लिए [(बी, एलवी), (डी, एचएच), (ओए, बीए, ओएल, ओएएल, बीएल, बीएलओए, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एमडीवाई), (एसएलडी, एमआई), (पूर्व में उल्लिखित दिव्यांगताएं सहित एमडी) उपयुक्त पाए गए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 07.09.2022 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, ओए, ओएल, बीए, बीएल, ओएएल, बीएलओए और बीएलए के अलावा एक अलग उप श्रेणी अर्थात् रीढ़ की हड्डी में विकृति (एसडी) और किसी संबंधित न्यूरोलॉजिकल/अंग के विसंक्रमण बिना के रीढ़ की हड्डी में चोट (एसआई) गतिशील दिव्यांगता के अंतर्गत सम्मिलित की गयी है। इस प्रकार, सूची में अभिनिर्धारित सभी पद न्यूरोलॉजिकल/अंग संबंधी विसंक्रमण के बिना एसडी/एसआई वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त माने गए हैं। अंग विसंक्रमण से जुड़े एसडी/एसआई वाले व्यक्तियों को संबंधित उप श्रेणी जैसे ओए, ओएल, बीए, बीएल, ओएएल, बीएलओए और बीएलए, जैसा भी मामला हो के तहत सम्मिलित किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई पद ओए और ओएल के लिए उपयुक्त अभिनिर्धारित किया जाता है तो यह पद ओएल/ओए के अंग विसंक्रमण से जुड़े एसडी/एसआई वाले व्यक्तियों के लिए भी उपयुक्त किया जाना है। (प्रयुक्त श्रेणी संक्षिप्ति: बी = दृष्टिहीन, एलवी = कम दृष्टि, डी = बधिर, एचएच = कम सुनना, ओए = एक बांह, ओएल = एक टांग, बीए = दोनों बांह, बीएल = दोनों टांगें, ओएएल = एक हाथ और एक टांग, बीएलओए = दोनों टांगें और एक हाथ, बीएलए = दोनों टांगें और बांह, सीपी = सेरेब्रल पाल्सी, एलसी = उपचारित कुष्ठ, डीडब्ल्यू = बौनापन, एएवी = एसिड अटैक पीड़ित, एमडीवाई = मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एसडी = ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार (एम = हल्का, एमओडी = मध्यम), आईडी = बौद्धिक दिव्यांगता, एसएलडी = विशिष्ट सीखने की अक्षमता, एमआई = मानसिक बीमारी, एमडी = बहु दिव्यांगताएं।)

- उक्त पदों हेतु **आवश्यक प्रकार्यात्मक** (एस-बैठना, बीएन- झुकना, एमएफ-उंगलियों से काम करना, आरडब्ल्यू-पढ़ना और लिखना, एसई-देखना, सी-प्रेषण, एसटी-खड़े होना, डब्ल्यू-चलना, एच-सुनना)।

3. आवेदन शुल्क

अनारक्षित (अना.), अपिव और आकव श्रेणियां	500/-
महिला/अजा/अजजा/पीडब्ल्यूबीडी/भूतपूर्व सैनिक/सीएसआईआर के विभागीय अभ्यर्थी	शून्य

4. ऊपरी आयु सीमा में छूट :

क्र.सं.	वर्ग	ऊपरी आयु सीमा से अधिक आयु में अनुमत छूट
(i)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अजा/ अजजा)	5 वर्ष
(ii)	अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव)	3 वर्ष
(iii)	पीडब्ल्यूबीडी (अनारक्षित)	10 वर्ष
(iv)	पीडब्ल्यूबीडी (अजा/अजजा)	15 वर्ष
(v)	पीडब्ल्यूबीडी (अपिव)	13 वर्ष
(vi)	भूतपूर्व सैनिक	वास्तविक आयु से प्रदान की गई वास्तविक सैन्य सेवा की कटौती के बाद अंतिम तिथि तक 3 वर्ष
(vii)	सीएसआईआर के विभागीय अभ्यर्थी	05 वर्ष
(viii)	कोई अन्य श्रेणी	आयु में कोई छूट नहीं

- (क) अजा/अजजा/अपिव (एनसीएल)/आकव/पीडब्ल्यूबीडी/भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के तहत पदों की नियुक्ति के लिए मान्य निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र (अनुलग्नक- II, III, V, VI, XI, XII और XIII) जो भी मामला हो, की एक प्रति अपलोड करना आवश्यक है। इसके अलावा, अपिव के अभ्यर्थियों को संलग्नक-IV के अनुसार एक घोषणा पत्र जमा करना होगा।
- (ख) आयु, अर्हता, अजा/अजजा/अपिव/आकव/पीडब्ल्यूबीडी स्थिति का दावा या कोई अन्य लाभ अर्थात् शुल्क रियायत, आरक्षण, आयु छूट आदि निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ तिथि, जहां अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।
- (ग) अभ्यर्थी यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त के संबंध में उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की सत्यता सत्यापित होने तक अनंतिम रहेगी। अभ्यर्थियों को सावधान किया जाता है कि यदि वे छलपूर्वक अजा/अजजा/अपिव/आकव/पीडब्ल्यूबीडी/ईएसएम स्थिति का दावा करते हैं या कोई अन्य लाभ उठाते हैं तो इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
- (घ) ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई जन्मतिथि और मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र में दर्ज की गई वही जन्मतिथि आयु निर्धारित करने के लिए सीएसआईआर द्वारा

स्वीकार की जाएगी और बाद में परिवर्तन संबंधी किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा या अनुमति नहीं दी जाएगी। जन्म तिथि हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी या सेकेंडरी स्कूल प्रमाणपत्र में अंकित हो या जन्म पंजिका से ली गई हो।

4. परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम और अंकों का व्यौरा

क परीक्षा योजना

पेपर	विषय	अधिकतम अंक	समय
पेपर-I	सामान्य जागरूकता और अंग्रेजी भाषा तथा समझ सामान्य जागरूकता (प्रति प्रश्न एक अंक के 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.33 अंक की दर से निगेटिव मार्किंग होगी) (English language and Comprehension) (English language & Comprehension) (वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होंगे प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.33 अंक की दर से निगेटिव मार्किंग होगी)	150 अंक	02:00 बजे (120 मिनट)
पेपर-II	सामान्य बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति और मानसिक क्षमता (वस्तुनिष्ठ प्रकार के 200 प्रश्न होंगे जिनमें प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित होगा, प्रत्येक प्रश्न के गलत उत्तर के लिए 0.33 अंक की दर से निगेटिव मार्किंग होगी)	200	02:30 बजे (150 मिनट)
पेपर-III	अंग्रेजी/हिंदी - वर्णनात्मक प्रश्न-पत्र निबंध, सार और पत्र/आवेदन लेखन	150	02 घंटे (120 मिनट)
साक्षात्कार	केवल अनुभाग अधिकारी (सामान्य/वित्त एवं लेखा/भंडार एवं क्रय) के पद के लिए साक्षात्कार 100 अंकों का है।		
कंप्यूटर	केवल सहायक अनुभाग अधिकारी (सामान्य/वित्त एवं लेखा/भंडार एवं क्रय) के पदों के लिए 100		

प्रवीणता परीक्षा	अंकों की कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा, जिसमें अर्हता प्राप्त करनी होगी।
पेपर -I, पेपर -II और पेपर -III सभी पदों के लिए एक समान और अनिवार्य होंगे।	
पेपर I जो केवल अंग्रेजी में होगा, के अंग्रेजी भाषा भाग को छोड़कर, सभी प्रश्न-पत्र द्विभाषी (अंग्रेजी और हिंदी) होंगे।	
जहां भी निर्धारित/आवश्यक होगा वहां न्यूनतम अंक सीमा सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की जाएगी ।	

केवल अनुभाग अधिकारी (सामान्य/वित्त एवं लेखा/भंडार एवं क्रय) के पद के लिए:-	
I.	350 अंकों (पेपर-I और पेपर-II) में से कुल न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को पेपर-III (वर्णनात्मक पेपर) के लिए बुलाया जाएगा।
II.	पेपर-I, पेपर-II और पेपर-III में कुल 500 अंकों में से न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार 100 अंक का है।
III.	अनुभाग अधिकारी (सामान्य/वित्त एवं लेखा/भंडार एवं क्रय) के पद के लिए कुल अंक 600 होंगे।
IV.	रिक्तियों की संख्या और अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों को ध्यान में रखते हुए अंतिम चयन/प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी, जो न्यूनतम निर्धारित अंक हासिल करने पर आधारित होगी।

केवल सहायक अनुभाग अधिकारी (सामान्य/वित्त एवं लेखा/भंडार एवं क्रय) के पदों के लिए:-	
I.	350 अंकों (पेपर-I और पेपर -II) में कुल न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को पेपर-III (वर्णनात्मक प्रश्न-पत्र) और कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी) के लिए बुलाया जाएगा। कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करनी होगी और कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम अंकों में नहीं गिना जाएगा।
II.	सहायक अनुभाग अधिकारी (सामान्य/वित्त एवं लेखा/भंडार एवं क्रय) के पद के लिए कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा को छोड़कर कुल अंक 500 होंगे।
III.	रिक्तियों की संख्या और अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों को ध्यान में रखते हुए अंतिम चयन/प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी जो न्यूनतम निर्धारित अंक और कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा में अर्हक अंक हासिल करने पर आधारित होगी।

नोट : उपर्युक्त प्रक्रिया केवल प्रस्तावित है। पेपर-I, पेपर-II और पेपर-III उसी दिन या अलग-अलग दिनों में आयोजित करने का और कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा/साक्षात्कार कब आयोजित करना है और इससे संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा परीक्षा मोड और लॉजिस्टिक आदि को ध्यान में रखते हुए लिया जा सकता है।

ख. पाठ्यक्रम और अंकों का ब्यौरा

पेपर-I - सामान्य जागरूकता और English language & Comprehension (कुल अंक = 150) (समय: 02 घंटे)		अंक और प्रश्नों की संख्या
सामान्य जागरूकता		100
(I)	भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन	
(II)	भारत का संविधान, राजनीति, शासन, सामाजिक न्याय	
(III)	राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं	
English language & Comprehension		50
I.	Comprehension	
II.	Do as directed (Active-Passive; Direct-Indirect etc.)	
III.	Prepositions, fill in the blanks,	
IV.	Synonyms/Antonyms	
V.	Sentence Correction; common errors	
VI.	Punctuation, Idioms & Phrases etc.	

पेपर-II - सामान्य बुद्धिमत्ता, तर्कशक्ति और मानसिक क्षमता (कुल अंक = 200) (समय: 02:30 घंटे)		अंक और प्रश्नों की संख्या
I.	सामान्य बुद्धिमत्ता, तर्कशक्ति और मानसिक क्षमता	25
II.	अंकगणितीय और संख्यात्मक क्षमता	25

III.	सामान्य विज्ञान	25
IV.	आर्थिक और सामाजिक विकास और पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव-विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे	25
V.	आचार नीति, अखंडता और योग्यता	25
VI.	निर्णय लेना और समस्या समाधान	25
VII.	प्रबंधन के सिद्धांत और पद्धतियां	25
VIII.	राष्ट्रीय भूगोल	25

पेपर -III - अंग्रेजी/हिंदी - वर्णनात्मक पेपर (कुल अंक= 150) (समय: 02 घंटे)		अंक
I.	निबंध लेखन (02 प्रश्न)	100
II.	सार लेखन (01 प्रश्न)	30
III.	पत्र/आवेदन लेखन (01 प्रश्न)	20

6. मूल्यांकन

- क) कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं की अस्थायी उत्तर कुंजी परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को सीएसआईआर वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी की जांच कर सकते हैं और प्रति प्रश्न 100/- रुपये का भुगतान, जो अप्रतिदाय (नॉन-रिफंडेबल) है, कर समय सीमा के भीतर ऑनलाइन अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम जैसे पत्र, आवेदन, ईमेल आदि से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। उत्तर कुंजी को अंतिम रूप देने से पहले उत्तर कुंजी के संबंध में अभ्यावेदन की जांच की जाएगी और इस संबंध में सीएसआईआर का निर्णय अंतिम होगा।
- ख) परीक्षा के किसी भी चरण के अंकों के पुनर्मूल्यांकन/पुनः जांच का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ग) यदि परीक्षाएं कई पारियों में आयोजित की जाती हैं, तो अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक एक सूत्र (फॉर्मूला) का उपयोग करते हुए सामान्यीकृत किए जाएंगे और ऐसे सामान्यीकृत अंकों का

उपयोग अंतिम योग्यता और कट ऑफ मार्क निर्धारित करने के लिए किया जाएगा। सूत्र सीएसआईआर द्वारा तय किया जाएगा और बाद में सीएसआईआर वेबसाइट के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा।

7. टाई मामलों के समाधान की पद्धति

परीक्षा के चरण -I और चरण- II में अभ्यर्थियों के अंक बराबर होने की स्थिति में, सीएसआईआर द्वारा दिनांक 30.05.2023 के अपने परिपत्र पत्र संख्या 5-1(211)/2014-पीडी के माध्यम से अधिसूचित निम्नलिखित मानदंड लागू करके मेरिट तय की जाएगी। टाई मामलों का समाधान नीचे दिए गए प्रतिशत के क्रम में होगा:

पद का नाम	वरीयता क्रम
अनुभाग अधिकारी (सामान्य/वित्त एवं लेखा/भंडार एवं क्रय)	i. लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों में सर्वाधिक अंक वाले अभ्यर्थी (मेरिट तैयार करने के लिए जिन पर विचार किया गया है) को उच्च स्थान पर रखा गया है। ii. लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों में कम नकारात्मक अंक वाले अभ्यर्थी (मेरिट तैयार करने के लिए जिन पर विचार किया गया है) को उच्च स्थान पर रखा गया है। iii. अधिक आयु वाले अभ्यर्थी की जन्मतिथि को उच्च स्थान पर रखा गया है, iv. पहले अनिवार्य डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उच्च स्थान पर रखा गया है, v. अभ्यर्थी के पहले नाम का वर्णमाला क्रम।
सहायक अनुभाग अधिकारी (सामान्य/वित्त एवं लेखा/भंडार एवं क्रय)	i. लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों में कम निगेटिव अंक वाले अभ्यर्थी (मेरिट तैयार करने के लिए जिन पर विचार किया गया है) को उच्च स्थान पर रखा गया है। ii. अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी की जन्मतिथि को उच्च स्थान पर रखा गया है, iii. पहले अनिवार्य डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उच्च स्थान पर रखा गया है, iv. अभ्यर्थी के पहले नाम का वर्णमाला क्रम

8. परीक्षा शहर

I. चरण -I (पेपर I और पेपर II) परीक्षा के लिए परीक्षा शहर

1. अहमदाबाद	2. बेंगलुरु
3. भोपाल	4. भुवनेश्वर
5. चंडीगढ़	6. चेन्नई
7. धनबाद	8. देहरादून
9. दिल्ली (एनसीआर)	10. गुवाहाटी
11. हैदराबाद	12. जयपुर
13. जम्मू	14. जमशेदपुर
15. कोलकाता	16. लखनऊ
17. नागपुर	18. पुणे
19. तिरुवनंतपुरम	

II. अनुभाग अधिकारी और सहायक अनुभाग अधिकारी के लिए चरण II (प्रश्न-पत्र-III) और सहायक अनुभाग अधिकारी के लिए सीपीटी के लिए परीक्षा शहर

1. बेंगलुरु	2. भोपाल
3. चंडीगढ़	4. चेन्नई
5. दिल्ली (एनसीआर)	6. हैदराबाद
7. कोलकाता	8. लखनऊ
9. पुणे	10. जमशेदपुर
11. गुवाहाटी	

9. निबंधन एवं शर्तें

(9.1) परिषद सेवा के तहत लाभ:

- क. इन पदों के लिए सामान्य भत्ते, यथा महंगाई भत्ता (डीए) मकान किराया भत्ता (एचआरए) और यात्रा भत्ता (टीए) आदि केंद्र सरकार की दरों पर होते हैं जो तैनाती स्थल पर परिषद कर्मचारियों पर लागू होते हैं। परिषद के कर्मचारी सीएसआईआर आवास आवंटन नियमों के अनुसार उपलब्धता के आधार पर हकदारी प्रकार के आवास के लिए भी पात्र हैं, ऐसी स्थिति में एचआरए स्वीकार्य नहीं होगा।
- ख. प्रत्येक श्रेणी के पदों के सामने दर्शाई गई परिलब्धियों के अलावा, परिषद के कर्मचारियों पर लागू चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, छुट्टी यात्रा रियायत, गृह निर्माण अग्रिम आदि जैसे लाभ उपलब्ध हैं।
- ग. ये पद भारत सरकार द्वारा अधिसूचित और सीएसआईआर द्वारा अपने दिनांक 23.12.2003 के पत्र संख्या 17/68/2001-ई.II, और इस विषयक जारी किए गए अन्य निर्देशों के तहत अपनाई गई 01.01.2004 से लागू नई पेंशन प्रणाली द्वारा शासित होंगे। हालाँकि, अन्य सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/केंद्रीय विश्वविद्यालयों से चयनित भारत सरकार के पैटर्न वाली पेंशन योजना वाले व्यक्ति मौजूदा पेंशन योजना अर्थात् सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 द्वारा शासित होते रहेंगे।

(9.2) सामान्य शर्तें और जानकारी:

- क. आवेदक भारत का नागरिक हो।
- ख. सभी आवेदक पद की अनिवार्य योग्यताओं और विज्ञापन में निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करते हों। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले खुद संतुष्ट हों कि उनके पास ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम आवश्यक योग्यताएं हैं। पात्रता के संबंध में सलाह संबंधी किसी भी पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/सरकारी नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड से प्राप्त हो और ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को या उससे पहले अंतिम परिणाम घोषित किया गया हो।
- ग. केवल न्यूनतम निर्धारित अर्हताएं पूरी करने से किसी अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार या लिखित परीक्षा और प्रवीणता परीक्षा या नियुक्ति के लिए बुलाए जाने का अधिकार नहीं मिल जाएगा।

यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण से पहले या बाद सत्यापन में यह पाया जाता है कि कोई भी अभ्यर्थी पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो उसकी अभ्यर्थिता तुरंत रद्द कर दी जाएगी।

- घ. सरकारी विभाग में कार्यरत आवेदकों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय अपने नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, ऐसा न करने पर उनकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि के बारे में समय पर सूचित किया जाएगा। हालाँकि, ऐसे अभ्यर्थी विज्ञापन के लिए अपने आवेदन के बारे में अपने नियोक्ता को सूचित करें।
- ड. अनिवार्य अर्हताओं में समकक्ष खंड के संबंध में, यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन की आवश्यकता के अनुसार किसी विशेष अर्हता को समकक्ष अर्हता के रूप में दावा कर रहा है, तो अभ्यर्थी को इस संबंध में प्राधिकारी को (संख्या और तिथि के साथ) जिसके तहत विचार किया गया है इंगित करते हुए आदेश/पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।
- च. यदि प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज़/प्रमाणपत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, तो उसका विधिवत सत्यापित प्रतिलेख जमा करना होगा।
- छ. विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा सीजीपीए/एसजीपीए/ओजीपीए ग्रेड आदि प्रदान करने के मामले में, अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे इसे अपने विश्वविद्यालय/संस्थान के अनुसार फॉर्मूले के आधार पर प्रतिशत में परिवर्तित करें।
- ज. भारत सरकार के निर्देशों के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- झ. आवेदन में दी गई जानकारी और मूल दस्तावेजों में स्पष्ट जानकारी के बीच कोई भी विसंगति पाए जाने पर आवेदक पद के लिए अयोग्य हो जाएगा।
- ञ. प्रत्येक रिक्ति कोड के सामने दर्शाई गई रिक्तियों की संख्या अनंतिम है और चयन के समय किसी भी तरह से भिन्न हो सकती है। यह विज्ञापन आवश्यक रूप से वास्तव में किए जा रहे चयन के समान नहीं है। यह चयन प्रक्रिया चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान एक निश्चित समय पर प्रचलित सीएसआईआर/ भारत सरकार के निर्देशों के अधीन है।
- ट. अपूर्ण आवेदन और आवश्यक प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की कमी के कारण आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। आवेदन में दी गई जानकारी और मूल दस्तावेजों में स्पष्ट जानकारी के बीच पाई गई किसी भी विसंगति से अभ्यर्थी पद के लिए अयोग्य माना जाएगा।
- ठ. यह जानकारी के लिए है कि, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई भी घोषणा या दी गई जानकारी झूठी साबित होती है या यदि यह पाया जाता है कि उसने जानबूझकर किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया है, तो उसकी अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है और/या वह ज्वाइन

- करने के बाद किसी भी स्तर पर सेवा से हटाने के लिए उत्तरदायी होगा/होगी, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली ऐसी अन्य कार्रवाई की जा सकती है।
- ड. ऊपरी आयु सीमा, अर्हता और/या अनुभव निर्धारित करने की तिथि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि होगी।
 - ढ. भर्ती किए गए अधिकारियों को ज्वॉइन करने की तिथि से दो साल की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर बढ़ाया या घटाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि में उसे सीएसआईआर द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ सकता है और ऐसी परीक्षाएं पास करनी पड़ सकती हैं।
 - ण. सीएसआईआर के अंतर्गत पद धारण करने वाले अधिकारी भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे और उन्हें सीएसआईआर की किसी भी प्रयोगशाला या संस्थान या इसकी इकाई या विस्तार केंद्र या सीएसआईआर मुख्यालय में स्थानांतरित किया जाएगा।
 - त. किसी भी रूप में प्रचार करना और/या अन्यथा कोई राजनीतिक प्रभाव लाने से इस पद के लिए अयोग्य माना जाएगा।
 - थ. पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन के तरीके और परीक्षा संचालन से संबंधित सभी मामलों में सीएसआईआर का निर्णय अंतिम और अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा।
 - द. इसके अलावा, इस भर्ती अभियान के संबंध में बाद की सभी जानकारी/अधिसूचना/ शुद्धिपत्र/ परिशिष्ट केवल सीएसआईआर वेबसाइट पर दी जाएगी। अतः आवेदकों से अनुरोध है कि वे अपडेट के लिए सीएसआईआर की वेबसाइट <https://www.csir.res.in> देखते रहें।
 - ध. **दस्तावेज सत्यापन (डीवी):** नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले, सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन के साथ जमा किए गए मूल दस्तावेजों के साथ-साथ सीएसआईआर द्वारा निर्दिष्ट कोई भी अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।
 - न. किसी अंतरिम पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

10. अभ्यर्थियों को अनुदेश

- (क) **कॉल लेटर डाउनलोड करें :** चरण- I, चरण- II की परीक्षा और साक्षात्कार हेतु कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को सीएसआईआर की वेबसाइट पर जाना होगा। कॉल लेटर डाउनलोड करने की सूचना ईमेल/एसएमएस के माध्यम से भी भेजी जाएगी। एक बार जब अभ्यर्थी संबंधित लिंक पर क्लिक करेगा, तो वह कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए विंडो तक पहुंच सकेगा। कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी को (I) पंजीकरण संख्या/रोल नंबर, (II) पासवर्ड/जन्मतिथि

का उपयोग करना आवश्यक है। अभ्यर्थी को कॉल लेटर पर पहचाने जाने योग्य नवीनतम फोटो चिपकाना होगा, अच्छा होगा कि वही फोटो चिपकाया जाए जो ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय प्रस्तुत किया गया था और (I) मूल कॉल लेटर (II) कॉल लेटर में निर्दिष्ट फोटो पहचान प्रमाण के साथ परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा।

(ख) देर से रिपोर्ट करने वाले अभ्यर्थी: परीक्षा के लिए कॉल लेटर पर निर्दिष्ट रिपोर्टिंग समय के बाद अर्थात् देर से रिपोर्ट करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कॉल लेटर पर उल्लिखित रिपोर्टिंग समय परीक्षा प्रारंभ होने के समय से पहले का है।

(ग) पहचान सत्यापन: परीक्षा हॉल में, अभ्यर्थी की वर्तमान वैध फोटो पहचान (जिसमें बिल्कुल वही नाम हो जो कॉल लेटर पर इंगित है) जैसे पैन कार्ड/पासपोर्ट/स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस/ मतदाता कार्ड/फोटो के साथ बैंक पासबुक/किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा फोटो के साथ आधिकारिक लेटरहेड पर जारी फोटो पहचान प्रमाण/फोटो के साथ आधिकारिक लेटरहेड पर किसी जन प्रतिनिधि द्वारा जारी फोटो पहचान प्रमाण/किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा जारी वैध नवीनतम पहचान पत्र/आधार कार्ड/कर्मचारी आईडी/फोटोग्राफ वाले बार काउंसिल पहचान पत्र को सत्यापन के लिए पर्यवेक्षक के पास जमा किया जाना चाहिए। अभ्यर्थी की पहचान कॉल लेटर पर उसके विवरण, उपस्थिति सूची और प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर सत्यापित की जाएगी। यदि अभ्यर्थी की पहचान संदेह में है तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राशन कार्ड और लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस वैध आईडी प्रूफ नहीं हैं।

ध्यान दें : अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षा सम्बन्धी कॉल लेटर के साथ मूल फोटो पहचान प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी ध्यान दें कि कॉल लेटर पर दिखाई देने वाला नाम (पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान प्रदान किया गया) फोटो पहचान प्रमाण पर दिखाई देने वाले नाम से बिल्कुल मेल खाता हो। जिन महिला अभ्यर्थियों ने शादी के बाद पहला/अंतिम/मध्य नाम बदल लिया है, उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यदि कॉल लेटर और फोटो पहचान प्रमाण में दर्शाए गए नाम के बीच कुछ बेमेल है तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने अपना नाम बदल लिया है, उन्हें केवल तभी अनुमति दी जाएगी जब वे मूल राजपत्र अधिसूचना/अपना मूल विवाह प्रमाणपत्र/शपथपत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेंगे।

(घ) अंतरिम प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ड.) परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन, कैलकुलेटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की सख्त मनाही है।

(च) केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने से किसी भी अभ्यर्थी को उसकी नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिल जाता है। यदि चयन के किसी भी चरण से पहले या बाद में सत्यापन में यह पाया जाता है कि कोई अभ्यर्थी पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो उसकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी।

(छ) पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन का तरीका, लिखित परीक्षा/साक्षात्कार का

संचालन और सभी या किसी भी पद को न भरने से संबंधित सभी मामलों में सीएसआईआर के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अभ्यर्थियों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा और इस संबंध में किसी भी व्यक्ति या उसकी एजेंसी से कोई अंतरिम पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

- (ज) सीएसआईआर लिखित परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा और इसलिए, उम्मीदवारी केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को आवश्यकताओं का ध्यान रखना होगा और स्वयं को संतुष्ट करना होगा कि वे पद के लिए पात्र हैं। दस्तावेज सत्यापन के समय उनकी शैक्षिक योग्यता और जाति/श्रेणी आदि के समर्थन में प्रमाण पत्र/दस्तावेज मांगे जाएंगे। अभ्यर्थी यह भी ध्यान रखें कि उन्हें सीएसआईआर द्वारा मांगे जाने पर आवश्यक अर्हता/जाति/श्रेणी आदि के अपने प्रमाण पत्र/दस्तावेज जमा करने होंगे। आवश्यक अर्हता/जाति/छूट आदि के प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि आवेदन में किया गया कोई भी दावा प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित नहीं होता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- (झ) जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा, तो इसे 'अनंतिम रूप से' स्वीकार कर लिया जाएगा। अभ्यर्थी अपने रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट ले लें। ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट को सीएसआईआर को भेजने की आवश्यकता नहीं है।

11. परीक्षा केंद्र

- (क) परीक्षा संबंधित कॉल लेटर में दिए गए स्थानों पर आयोजित की जाएगी।
- (ख) परीक्षा के लिए केंद्र/स्थान/तिथि/सत्र में बदलाव के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (ग) सीएसआईआर, यद्यपि, प्रतिक्रिया, प्रशासनिक व्यवहार्यता आदि के आधार पर, अपने विवेक पर किसी भी परीक्षा केंद्र को रद्द करने और/अथवा कुछ अन्य केंद्रों को जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- (घ) सीएसआईआर के पास अभ्यर्थी को उसके द्वारा चुने गए केंद्र के अलावा किसी अन्य केंद्र को आवंटित करने का भी अधिकार सुरक्षित है।
- (ङ.) अभ्यर्थी परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र पर अपने जोखिम और खर्च पर उपस्थित होंगे और सीएसआईआर किसी भी प्रकार की चोट या हानि आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- (च) ऑनलाइन परीक्षा और/अथवा साक्षात्कार में एकाधिक उपस्थिति/प्रकटन को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा/उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

12. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रलिपिक (स्क्राइब) के उपयोग सहित दिशानिर्देश

दृष्टिहीन अभ्यर्थी और वे अभ्यर्थी जिनकी लेखन गति किसी भी कारण से स्थायी तौर पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है, वे सीएसआईआर की पूर्व अनुमति के साथ, ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा के दौरान अपने स्वयं के खर्च पर अपने प्रलिपिक (स्क्राइब) का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे सभी मामलों में जहां एक प्रलिपिक की अनुमति है, निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

- (क) दृष्टिहीनता, लोकोमोटर दिव्यांगता (दोनों हाथ प्रभावित-बीए) और सेरेब्रल पाल्सी की श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के मामले में, अभ्यर्थी द्वारा चाहे जाने पर प्रलिपिक (स्क्राइब) की सुविधा की अनुमति है (संलग्नक-VII)।
- (ख) बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की शेष श्रेणियों के मामले में, प्रलिपिक (स्क्राइब) के प्रावधान की अनुमति परीक्षा के समय इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में शारीरिक अक्षमता है और संलग्नक-VII और संलग्नक-VIII के प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा सत्यापित किया जाए कि उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए प्रलिपिक (स्क्राइब) आवश्यक है।
- (ग) डिपार्टमेंट ऑफ इंपॉवरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 10.08.2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 29-6/2019-डीडी-III के अनुसरण में 40% से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को प्रलिपिक (स्क्राइब) की सुविधा भी दी जाएगी। संलग्नक-IX और संलग्नक-X के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर सुविधा की अनुमति दी जाएगी।
- (घ) पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थी को प्रलिपिक/पैसेज रीडर की सुविधा तभी दी जाएगी जब उसने ऑनलाइन आवेदन पत्र में इसका विकल्प चुना हो। अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त किया गया प्रलिपिक (स्क्राइब) उसी परीक्षा का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए। यदि प्रक्रिया के किसी भी चरण में उपर्युक्त का उल्लंघन पाया जाता है, तो अभ्यर्थी और प्रलिपिक (स्क्राइब) दोनों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। जो अभ्यर्थी पात्र हैं और जो परीक्षा में प्रलिपिक (स्क्राइब) की सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन पत्र में इसे सदैव सावधानीपूर्वक इंगित करें किसी भी आगामी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (ङ) अभ्यर्थी को अपने खर्च पर अपने प्रलिपिक (स्क्राइब) की व्यवस्था करनी होगी। प्रलिपिक (स्क्राइब) की योग्यता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर कम होनी चाहिए।
- (च) एक अभ्यर्थी के लिए प्रलिपिक (स्क्राइब) के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति दूसरे अभ्यर्थी के लिए प्रलिपिक (स्क्राइब) नहीं हो सकता है।
- (छ) प्रलिपिक (स्क्राइब) किसी भी शैक्षणिक शाखा से हो सकता है।
- (ज) बेंचमार्क दिव्यांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले अभ्यर्थियों जिनको स्वयं के प्रलिपिक (स्क्राइब) के लिए अनुमति दी गई है, उन्हें संलग्नक-VII, संलग्नक- VIII, संलग्नक-IX और संलग्नक-X के अनुसार

परीक्षा से पहले ऑनलाइन पोर्टल में स्वयं के प्रलिपिक (स्क्राइब) का विवरण अपलोड करना होगा। जैसा कि उपर्युक्त पैरा 12 (बी) और 12 (सी) में लागू एवं विस्तार में प्रस्तुत है और परीक्षा के दिन इसकी मूल प्रति जमा करनी होगी। इसके अतिरिक्त, प्रलिपिक (स्क्राइब) को परीक्षा के समय एक वैध आईडी प्रमाण [पैरा-10(सी) में दी गई सूची के अनुसार] की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी। अभ्यर्थी के साथ-साथ प्रलिपिक (स्क्राइब) द्वारा हस्ताक्षरित प्रलिपिक (स्क्राइब) के आईडी प्रमाण की एक फोटोकॉपी उपर्युक्त प्रासंगिक संलग्नकों के साथ जमा की जाएगी। यदि बाद में यह पाया जाता है कि प्रलिपिक (स्क्राइब) की योग्यता अभ्यर्थी द्वारा घोषित योग्यता के अनुरूप नहीं है, तो अभ्यर्थी पद पर अपना अधिकार और उससे संबंधित दावा खो देगा।

- (झ) अभ्यर्थी और प्रलिपिक (स्क्राइब) दोनों को यह पुष्टि करते हुए एक उपयुक्त वचन देना होगा कि प्रलिपिक (स्क्राइब), प्रलिपिक (स्क्राइब) के लिए उपर्युक्त सभी निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। इसके अतिरिक्त यदि बाद में यह पता चलता है कि उसने किसी निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा नहीं किया है या महत्वपूर्ण भौतिक तथ्यों को छिपाया है तो आवेदक की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, चाहे ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम कुछ भी हो।
- (ञ) परीक्षा के दौरान, किसी भी स्तर पर, यदि यह पाया गया कि प्रलिपिक (स्क्राइब) स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, तो परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। प्रलिपिक (स्क्राइब) की सेवाओं का उपयोग करने वाले ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जाएगी यदि परीक्षा से सम्बन्धित प्रशासक कर्मियों द्वारा परीक्षा के बाद यह बताया गया कि प्रलिपिक (स्क्राइब) ने स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दिया है।
- (ट) वे अभ्यर्थी जो प्रलिपिक (स्क्राइब) का उपयोग करते हैं वे परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए अथवा अन्यथा सलाह के अनुसार 20 मिनट के प्रतिपूरक समय के पात्र होंगे।
- (ठ) केवल प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को ही ऐसी रियायतें दी जाएंगी क्योंकि अभ्यर्थियों को दिया जाने वाला प्रतिपूरक समय प्रणाली आधारित होगा। यदि वह इसके लिए पंजीकृत नहीं है तो सीएसआईआर के लिए ऐसा समय देना संभव नहीं होगा। प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकृत नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को ऐसी रियायतें नहीं दी जाएंगी।
- (ड) एक आंख वाले अभ्यर्थी और आंशिक रूप से दृष्टिहीन अभ्यर्थी जो आवर्धक लेंस (मैग्नीफाइंग ग्लास) के साथ अथवा उसके बिना सामान्य प्रश्न पत्र सेट को पढ़ने में सक्षम हैं और जो आवर्धक ग्लास की मदद से उत्तर लिखना/इंगित करना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा हॉल में इसका उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी और वे प्रलिपिक (स्क्राइब) के हकदार नहीं होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में अपना स्वयं का आवर्धक लेंस लाना होगा।
- (ढ) दृष्टिहीन अभ्यर्थी (जो कम से कम 40% दिव्यांगता से पीड़ित हैं) परीक्षा संबंधी सामग्री को बड़े फॉन्ट में देखने का विकल्प चुन सकते हैं और ऐसे सभी अभ्यर्थी प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट के प्रतिपूरक समय के पात्र होंगे।

13. अन्य शर्तें

- (क) परीक्षा कराए जाने के सम्बन्ध में किसी तरह की समस्या होने की संभावना से पूरी तरह इंकार नहीं किया जा सकता है जो परीक्षा कराए जाने और/अथवा परिणाम को प्रभावित कर सकता है। उस स्थिति में, ऐसी समस्या को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों की आवाजाही, परीक्षा में देरी शामिल हो सकती है। दोबारा परीक्षा आयोजित करना परीक्षा आयोजित कराए जाने वाली संस्था के पूर्ण विवेक पर निर्भर है। अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा कराए जाने से सम्बन्धित कोई दावा नहीं कर सकेंगे। जो अभ्यर्थी स्थान परिवर्तन के इच्छुक नहीं हैं या परीक्षा कराए जाने सम्बन्धी विलंबित प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक नहीं हैं, उन्हें प्रक्रिया से सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
- (ख) भर्ती से संबंधित सभी मामलों में सीएसआईआर का निर्णय अंतिम और अभ्यर्थी पर बाध्यकारी होगा। इस संबंध में सीएसआईआर द्वारा किसी भी पत्राचार या व्यक्तिगत पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (ग) यदि परीक्षा एक से अधिक सत्रों में आयोजित की जाती है, तो विभिन्न सत्रों में उपयोग की जाने वाली परीक्षा सम्बन्धी विभिन्न बैटरियों के कठिनाई स्तर में मामूली अंतर को समायोजित करने के लिए विभिन्न सत्रों के अंकों को बराबर किया जाएगा। यदि नोड्स की क्षमता कम है या किसी केंद्र पर या किसी अभ्यर्थी के लिए कुछ तकनीकी व्यवधान होता है तो एक से अधिक सत्र की आवश्यकता होती है।
- (घ) सही और गलत उत्तरों की समानता के पैटर्न का पता लगाने के लिए व्यक्तिगत अभ्यर्थियों की प्रतिक्रियाओं (उत्तरों) का अन्य अभ्यर्थियों के साथ विश्लेषण किया जाएगा। यदि इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में, यह अनुमान/निष्कर्ष निकाला जाता है कि प्रतिक्रियाएं साझा की गई हैं और प्राप्त अंक वास्तविक/वैध नहीं हैं, तो सीएसआईआर के पास संबंधित अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी और परिणाम को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है और ऐसे अभ्यर्थियों (अयोग्य) का परिणाम रोक दिया जाएगा।
- (ङ.) चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में अभ्यर्थी द्वारा गलत जानकारी प्रदान करने और/अथवा प्रक्रिया का उल्लंघन करने का मामला सामने आने पर अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसे भविष्य में सीएसआईआर की किसी भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे उदाहरणों का पता नहीं चल पाता है, लेकिन बाद में पता चलता है, तो ऐसी अयोग्यता पूर्वव्यापी प्रभाव से मानी जाएगी।
- (च) कृपया ध्यान दें कि अभ्यर्थी का नाम, श्रेणी, जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, परीक्षा केंद्र, पदों/संवर्गों के लिए प्राथमिकताओं का पंजीकरण आदि सहित ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित सभी विवरणों को अंतिम माना जाएगा और ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद कोई परिवर्तन/आशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि

वे ऑनलाइन आवेदन पत्र अत्यंत सावधानी से भरें क्योंकि विवरण में परिवर्तन के संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। सीएसआईआर ऑनलाइन आवेदन पत्र में गलत और अपूर्ण विवरण प्रस्तुत करने या आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण प्रदान करने में चूक से उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

- (छ) एक बार पंजीकृत होने के बाद ऑनलाइन आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और/अथवा एक बार भुगतान किया गया आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य परीक्षा के लिए आरक्षित रखा जाएगा।

14. स्कोर प्राप्त करने की प्रक्रिया

ऑनलाइन परीक्षा के अंक निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाकर प्राप्त किए जाते हैं:

- (i) जहां लागू हो, गलत उत्तरों के लिए जुर्माना लगाने के बाद सही स्कोर पर पहुंचने के लिए प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या पर विचार किया जाता है।
- (ii) समान स्कोर तक पहुंचने के लिए अलग-अलग सत्रों में आयोजित प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में कठिनाई स्तर में मामूली अंतर, यदि कोई हो, का ध्यान रखने के लिए अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए सही स्कोर को समतुल्य बनाया जाता है*
*किसी भी परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को सभी फॉर्मों के अंकों के वितरण पर विचार करके आधार फॉर्म के बराबर किया जाता है।
- (iii) टेस्ट-वार स्कोर और कुल स्कोर को दशमलव बिंदु के साथ दो अंकों तक रिपोर्ट किया जाता है।

15. बायोमेट्रिक डेटा - कैप्चरिंग और सत्यापन

अभ्यर्थी की पहचान सत्यापित करने के लिए किसी भी स्तर पर परीक्षा हॉल में बायोमेट्रिक डेटा (अंगूठे का निशान) और अभ्यर्थियों की फोटो ली जा सकती है। इसकी स्थिति (मिलान या बेमेल) के संबंध में बायोमेट्रिक डेटा सत्यापन प्राधिकरण का निर्णय अभ्यर्थियों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

सुचारु प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अभ्यर्थियों से निम्नलिखित बातों का ध्यान रखने का अनुरोध किया जाता है

- यदि अंगुलियों पर कोई कोटिंग लगी हुई है (स्टैम्प की स्याही/मेहंदी/रंग आदि लगा हुआ है), तो उन्हें अच्छी तरह धोना सुनिश्चित करें ताकि परीक्षा/साक्षात्कार/ज्वाइनिंग के दिन से पहले कोटिंग पूरी तरह से हट जाए।
- यदि अंगुलियां गंदी या धूल भरी हैं, तो फिंगर प्रिंट (बायोमेट्रिक) लिए जाने से पहले उन्हें धोना और सुखाना सुनिश्चित करें।
- सुनिश्चित करें कि दोनों हाथों की अंगुलियां सूखी हों। यदि अंगुलियां गीली हैं, तो उन्हें सुखाने के लिए प्रत्येक अंगुली को पोंछें।
- यदि कैप्चर की जाने वाली प्राथमिक उंगली (अंगूठा) घायल/क्षतिग्रस्त है, तो परीक्षा केंद्र में तुरंत संबंधित प्राधिकारी को सूचित करें।

16. आवेदन कैसे करें

1. सरकारी विभागों में काम करने वाले आवेदकों को अपने विभाग/कार्यालय को सूचित करना होगा और दस्तावेज़ सत्यापन के समय या जमा करने के लिए कहा जाने पर अपने नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाण पत्र"/"कार्यालय को सूचना" जमा करनी होगी, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। सीएसआईआर किसी भी व्यक्ति को धारणाधिकार (लियन) या प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्वीकार नहीं करेगा।
2. योग्य अभ्यर्थियों को सीएसआईआर की वेबसाइट अर्थात <https://www.csir.res.in/> के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
3. आवेदन का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क 500/- रुपये नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड /यूपीआई के माध्यम से जमा करना होगा।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों/महिलाओं/भूतपूर्व सैनिकों/सीएसआईआर कर्मचारियों को आवेदन शुल्क जमा करने से छूट दी गई है।
6. अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन जमा करें और अंतिम तिथि तक इंतजार न करें ताकि समाप्ति के दिनों के दौरान सीएसआईआर वेबसाइट पर भारी लोड के कारण लॉग इन करने में वियोजन (डिसकनेक्शन)/असमर्थता अथवा विफलता की संभावना से बचा जा सके।
7. किसी भी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाने चाहिए। एक से अधिक आवेदनों के मामले में, केवल नवीनतम वैध (पूर्ण) आवेदन ही रखा जाएगा और एक से अधिक पंजीकरणों के लिए भुगतान किया गया आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क जब्त कर लिया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा और/अथवा साक्षात्कार में एकाधिक उपस्थिति/प्रकटन को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा/उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

17. ऑनलाइन आवेदन हेतु दिशा-निर्देश

निम्नांकित के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश/प्रक्रियाएँ

क. आवेदन पंजीकरण

ख. शुल्क का भुगतान

पंजीकरण से पहले ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थियों को निम्नांकित करना चाहिए-

(i) स्कैन करें:-

→ नवीनतम फोटोग्राफ (आकार : 50 केबी से कम)

(धुंधली/फर्जी/मनगढ़त फोटो वाला आवेदन सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा)

→ हस्ताक्षर (सादे सफेद कागज पर काली स्याही से), (आकार: 50 केबी से कम)

(बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किये जायेंगे।)

(ii) अपेक्षित आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आवश्यक विवरण/दस्तावेज तैयार रखें (डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ऑनलाइन बैंकिंग/यूपीआई)।

(iii) एक वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रखें, जिसे इस भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने तक सक्रिय रखा जाए। परीक्षा आदि के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए पंजीकृत ई-मेल आईडी के माध्यम से सूचना भेजी जा सकती है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी नहीं है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपनी नई ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर बनाना चाहिए और उस ईमेल अकाउंट तथा मोबाइल नंबर को अवश्य सक्रिय रखना चाहिए।

क. आवेदन पंजीकरण

निम्नलिखित प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन किया जाए अन्यथा आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।

1. अभ्याथियों को सीएसआईआर की वेबसाइट <https://www.csir.res.in/> पर जाना होगा और "अप्लाई ऑनलाइन" विकल्प पर क्लिक करना होगा, जिससे एप्लिकेशन पोर्टल की एक नई स्क्रीन खुल जाएगी।
2. आवेदन पंजीकृत करने के लिए, "रजिस्टर नाओ" पर क्लिक करें और मोबाइल नंबर व ईमेल-आईडी दर्ज करें। ओटीपी दर्ज करके दोनों को सत्यापित करें। सत्यापन के बाद पंजीकरण पृष्ठ प्राप्त करने के लिए "प्रोसीड" पर क्लिक करें।
3. ऑनलाइन पंजीकरण के बाद, सिस्टम एक यूनिक यूजर नेम व पासवर्ड प्रस्तुत करेगा और अभ्यर्थी के पंजीकृत ईमेल पर भेजेगा। अभ्यर्थी को भविष्य के संदर्भ के लिए विशिष्ट यूजर नेम और पासवर्ड को सुरक्षित रखना होगा।
4. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में भरे गए विवरणों को सावधानीपूर्वक भरें और सत्यापित करें क्योंकि अंतिम सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद कोई बदलाव संभव नहीं होगा।
5. अभ्यर्थी या उसके पिता/माता आदि का नाम सही ढंग से लिखा जाना चाहिए जैसा कि प्रमाणपत्र/मार्क शीट/पहचान प्रमाण में इंगित है। कोई भी परिवर्तन/संशोधन पाए जाने पर उम्मीदवारी को अयोग्य ठहराया जा सकता है।
6. अभ्यर्थी को अपने नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ और उसमें निर्दिष्ट हस्ताक्षर के साथ प्रासंगिक दस्तावेज/प्रमाणपत्र/प्रशंसापत्र अपलोड करने होंगे। इसके अतिरिक्त, यदि लागू हो, तो अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए सभी विवरण संबंधित दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों/प्रशंसापत्रों से मेल खाते हों।
7. अभ्यर्थी आवेदन पत्र के डॉक्यूमेंट अपलोड पेज पर दिए गए विनिर्देशों के अनुसार फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
8. अभ्यर्थी आवेदन पत्र के अन्य विवरण भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
9. अंतिम सबमिट से पहले संपूर्ण आवेदन पत्र का पूर्वावलोकन और सत्यापन करने के लिए फॉर्म प्रीव्यू बटन पर क्लिक करें।
10. 'पेमेंट' टैब पर क्लिक करें और भुगतान के लिए आगे बढ़ें (यदि लागू हो, जैसा भी मामला हो)।
11. 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।
12. अभ्यर्थी को आवेदन का प्रिंटआउट अपने पास रखना होगा जिसे फॉर्म प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके प्राप्त किया जा सकता है।
13. अभ्यर्थी की पात्रता ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा प्रदान किए गए विवरण पर आधारित होगी। इसलिए, यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में केवल सही/सटीक, पूर्ण और वैध जानकारी प्रस्तुत करें। किसी भी दृष्टि से अधूरे आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। गलत/झूठी/अमान्य जानकारी प्रस्तुत करने पर उम्मीदवारी/आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

14. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में किसी भी कठिनाई के मामले में, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे हेल्पलाइन नंबर 07969049955 (पूर्वाह्न 09:00 - अपराह्न 06:00 बजे तक) पर संपर्क करें।

ख. शुल्क का भुगतान (ऑनलाइन मोड)

आवेदन पत्र पेमेंट गेटवे के साथ एकीकृत है और भुगतान प्रक्रिया निम्नलिखित अनुदेशों द्वारा पूरी की जा सकती है:

1. ऑनलाइन आवेदन शुल्क ₹ 500/- (पांच सौ रुपये मात्र) है जिसमें लागू सूचना शुल्क शामिल नहीं है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
2. महिला/एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/भूतपूर्व सैनिक/सीएसआईआर विभागीय अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है।
3. ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन आवेदन प्रणाली के साथ एकीकृत पेमेंट गेटवे के माध्यम से किया जाना चाहिए। किसी अन्य माध्यम से ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान स्वीकार्य नहीं है और अन्य माध्यम से किया गया भुगतान अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जाएगा।
4. भुगतान डेबिट कार्ड (RuPay/Visa/MasterCard/Maestro), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई का उपयोग करके किया जा सकता है।
5. ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी भुगतान सम्बन्धी जानकारी जमा करने के बाद, कृपया सर्वर से आने वाली सूचना की प्रतीक्षा करें। दोहरे शुल्क से बचने के लिए बैंक या रिफ्रेश बटन न दबाएँ।
6. लेनदेन के सफल समापन पर, एक ई-रसीद प्राप्त होगी।
7. 'ई-रसीद' का न बनना भुगतान विफलता को दर्शाता है। भुगतान विफल होने पर, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने यूजर नेम और पासवर्ड का उपयोग करके फिर से लॉग-इन करें और भुगतान की प्रक्रिया को दोहराएं।
8. अभ्यर्थियों को शुल्क विवरण वाली ई-रसीद और ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना आवश्यक है। कृपया ध्यान दें कि यदि इसे जेनरेट नहीं किया जा सका, तो ऑनलाइन लेनदेन सफल नहीं हुआ होगा।
9. क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए: सभी शुल्क भारतीय रुपये में सूचीबद्ध हैं। यदि आप गैर-भारतीय (नॉन-इंडियन) क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, तो आपका बैंक प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर सभी शुल्कों को आपकी स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित कर देगा।
10. अपने डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, कृपया अपना लेनदेन पूरा होने पर ब्राउज़र विंडो बंद कर दें।

नोट:

- (1) फोटोग्राफ/हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद, अभ्यर्थियों को यह जांचना चाहिए कि तस्वीरें (छवियां) स्पष्ट हैं और सही ढंग से अपलोड की गई हैं। यदि फोटो या हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, तो अभ्यर्थी फॉर्म जमा करने से पहले अपने आवेदन में फेर-बदल कर सकता है और अपनी फोटो या हस्ताक्षर को फिर से अपलोड कर सकता है।
- (2) अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित करें कि फोटो के स्थान पर फोटो तथा हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर अपलोड किया गया हो। यदि फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर ठीक से अपलोड नहीं किया गया है, तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (3) अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपलोड किया जाने वाला फोटो अपेक्षित आकार का हो और चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
- (4) यदि फोटो के स्थान पर फोटो अपलोड नहीं किया गया तो परीक्षा हेतु प्रवेश अस्वीकृत/रद्द कर दिया जायेगा। इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- (5) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपलोड किया गया हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
- (6) ऑनलाइन पंजीकरण करने के बाद अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सिस्टम द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट ले लें।

18. कदाचार/अनुचित साधनों के प्रयोग के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई

अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि उन्हें ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय कोई भी गलत, छेड़छाड़ किया गया या मनगढ़ंत विवरण नहीं देना चाहिए और किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाना नहीं चाहिए। परीक्षा, साक्षात्कार या उसके बाद की चयन प्रक्रिया के समय, यदि कोई अभ्यर्थी निम्नांकित के सन्दर्भ में -

- (i) अनुचित साधनों का उपयोग करना अथवा
- (ii) प्रतिरूपण करना या किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण प्राप्त करना
- (iii) परीक्षा/साक्षात्कार हॉल में दुर्यवहार करना अथवा परीक्षा सामग्री या उसमें किसी भी जानकारी को संपूर्ण या आंशिक किसी भी रूप में अथवा मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक किसी भी माध्यम से किसी भी उद्देश्य के लिए प्रकट करना, प्रकाशित करना, पुनरुत्पादित करना, प्रसारित करना, संग्रहीत करना या प्रसारण और भंडारण की सुविधा प्रदान करना

- (iv) अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी अनियमित या अनुचित साधन का सहारा लेना
- (v) अनुचित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करना, अथवा
- (vi) परीक्षा/साक्षात्कार हॉल में मोबाइल फोन या उसी तरह के संचार सम्बन्धी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर, दोषी पाया जाता है (या पाया गया है) तो ऐसे अभ्यर्थी पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। उसके अन्तर्गत वह:
- (क) उस परीक्षा से अयोग्य ठहराया जाएगा जिसके लिए वह अभ्यर्थी है
- (ख) सीएसआईआर द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा से या तो स्थायी रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए वंचित किया जाएगा
- (ग) सेवा समाप्ति के लिए, यदि वह पहले ही संस्थान में कार्यभार ग्रहण कर चुका है।

हिंदी और अंग्रेजी संस्करण के बीच किसी भी असंगतता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा

अस्वीकरण

चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में अभ्यर्थी द्वारा गलत जानकारी प्रदान करने और/अथवा प्रक्रिया का उल्लंघन करने संबंधी मामला सामने आने पर अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसे भविष्य में किसी भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मामलों का पता नहीं चल पाता है, लेकिन बाद में पता चलता है, तो ऐसी अयोग्यता पूर्वव्यापी प्रभाव से होगी। भर्ती की प्रक्रिया के संबंध में सीएसआईआर द्वारा दिया गया/दिया जाने वाला स्पष्टीकरण/निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

उप सचिव (भर्ती प्रकोष्ठ)

सांकेतिक विस्तृत पाठ्यक्रम

पेपर - I

सामान्य जागरूकता

(I) भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन

भारतीय इतिहास के स्रोत, हड़प्पा सभ्यता, मौर्य, वैदिक, मौर्योत्तर काल (200 ई.पू.-300 ई.), गुप्त और गुप्त के बाद का काल: समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति, मध्यकालीन भारत में घटनाओं का कालक्रम, 750-1200 के बीच उत्तर भारत, दिल्ली के सुल्तान, मुगल राजा, मराठा, मध्यकालीन भारत के संत, अठारहवीं शताब्दी में भारतीय, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, ब्रिटिशों का आर्थिक प्रभाव, भारतीय पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन, ब्रिटिश के खिलाफ प्रारंभिक विद्रोह, 1857 का विद्रोह, राष्ट्रीय आंदोलन के उदय की प्रकृति और कारण, नव-राष्ट्रवादियों या चरमपंथियों का उदय, गांधीवादी युग की शुरुआत।

(II) भारत का संविधान, राजनीति, शासन, सामाजिक न्याय

- भारतीय संविधान - ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और मूल संरचना
- संघ और राज्यों के कार्य और उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ। स्थानीय स्तर तक सत्ता और वित्त का हस्तांतरण और उसमें चुनौतियाँ
- अन्य देशों के साथ भारतीय संवैधानिक योजना की तुलना
- विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र और संस्थान
- संसद और राज्य विधानमंडल-संरचना, कामकाज, कार्य-संचालन, शक्तियाँ और विशेषाधिकार तथा इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे
- विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य और जिम्मेदारियाँ
- सरकार के कार्यपालिका और न्यायपालिका मंत्रालयों और विभागों की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; दबाव समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ और राजनीति में उनकी भूमिका
- सरकार की नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए अंतराक्षेप और उनके डिजाइन तथा कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे
- वैधानिक, नियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय

- केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों हेतु कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का निष्पादन; इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और प्रगति के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थान और निकाय
- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन
- विकास प्रक्रियाएं और विकास उद्योग गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दाताओं, दान, संस्थागत और अन्य पणधारियों की भूमिका
- सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे
- शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू, ई-गवर्नेंस- अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ और क्षमता; नागरिक चार्टर, पारदर्शिता और जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय
- गरीबी और भुखमरी से संबंधित मुद्दे

(iii) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटना

राष्ट्रीय - राष्ट्रीय मुद्दे, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राजनीति, न्यायपालिका, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, राज्य, सामाजिक योजनाएं, खेल समाचार, रिपोर्टें, समिति और आयोग, पुरस्कार और सम्मान, दुर्घटना और आपदाएं, भारत में प्रथम।

अंतर्राष्ट्रीय - महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन और कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, विश्व में प्रथम, अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टें, अंतर्राष्ट्रीय समितियाँ और सिफारिशें, विश्वभर की भौगोलिक घटनाएँ।

अंग्रेजी भाषा और उसकी समझ:

कॉम्प्रिहेन्शन, निर्देशानुसार करें (एक्टिव-पैसिव; डाइरेक्ट-इन्डाइरेक्ट आदि), प्रिपोजीशन, रिक्त स्थान भरें, समानार्थी (सिनाॅनिम), विलोम (ऐन्टॉनिम), वाक्य सुधार (सेन्टेन्स करेक्शन), सामान्य त्रुटियाँ (कॉमन ऐरर्स), पंकचुएशन, मुहावरे और वाक्यांश (ईडिअम्स एंड फ्रेज़ेज़) आदि।

पेपर - II

(i) सामान्य बुद्धिमत्ता, तर्कशक्ति और मानसिक क्षमता:

सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति (जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग): इसमें मौखिक और गैर-मौखिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे। इस परीक्षा में समरूपता, समानताएं और अंतर, स्पेस विजुअलाइजेशन, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय, निर्णय लेने, विजुअल मेमोरी, विभेदकारी प्रेक्षण, संबंध अवधारणाएं,

अंकगणितीय तर्क शक्ति, मौखिक और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर-मौखिक श्रृंखला आदि पर प्रश्न शामिल होंगे। इस परीक्षा में अमूर्त विचारों और प्रतीकों तथा उनके संबंधों, अंकगणितीय संगणना और अन्य विश्लेषणात्मक कार्यों से निपटने के लिए उम्मीदवार की क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रश्न भी शामिल होंगे।

सामान्य मानसिक क्षमता: समरूपता, वर्गीकरण, श्रृंखला, कोडिंग-डिकोडिंग, रक्त संबंध, दिशा ज्ञान परीक्षण, तार्किक वेन आरेख, वर्णमाला परीक्षण, बैठने की व्यवस्था, गणितीय प्रचालन, अंकगणितीय तर्कशक्ति, लुप्त अक्षर सम्मिलित करना, संख्या, रैंकिंग और समय अनुक्रम परीक्षण, पात्रता परीक्षा।

(ii) **अंकगणितीय और संख्यात्मक क्षमता:** सरलीकरण, दशमलव, डाटा इंटरप्रिटेशन, फ्रेक्शंस एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, औसत, लाभ और हानि, छूट, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रमिति, समय और कार्य, समय और दूरी, सारणी एवं ग्राफ़ इत्यादि।

(iii) **सामान्य विज्ञान:** 1. **भौतिकी** - यांत्रिकी, ऊष्मा, चुंबकत्व, विद्युत, प्रकाश, ध्वनि, आधुनिक भौतिकी, 2. **रसायन विज्ञान** - पदार्थों की प्रकृति और संरचना, परमाणु संरचना, रेडियोधर्मिता, आइसोटोपिक आइसोटोप आइसोटॉनिक, कैमिकल बॉन्ड, ऑक्सीकरण और उपस्कर, एसिड, राख और नमक, वैलेंसी और परमाणु भार, गैसों के सामान्य गुण, विलय, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोकैमिस्ट्री, रासायनिक काइनेटिक्स, इंड्रयूसमेट, ईंधन, तत्वों का आवधिक वर्गीकरण, तत्वों के लैटिन नाम और रासायनिक प्रतीक, धातुकर्म उपचार, धातु और उनके यौगिक, गैर-धातु और उनके यौगिक, कार्बनिक रसायन, विविध मिश्र धातु, उर्वरक, सीमेंट आदि। 3. **जीव विज्ञान** - पादप रोग, पादप ऊतक, पादप आनुवंशिकी, कोशिका जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी, प्रदूषण, स्वास्थ्य और पोषण, मानव शरीर विज्ञान, जंतु जगत का वर्गीकरण, प्राणि विज्ञान की शाखा, मुख्य जीवविज्ञानी। 4. **कंप्यूटर/आईटी** - कंप्यूटर, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेड शीट, स्लाइड्स जनरेशन, ईमेल आदि के बारे में बुनियादी ज्ञान और बुनियादी बातें।

(iv) **आर्थिक और सामाजिक विकास तथा पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव-विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे:**

आर्थिक वृद्धि और विकास - अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र की मूल संकल्पना और परिभाषा, संसाधनों का उपयोग और हस्तांतरण, वितरण प्रभाव, लघु एवं सूक्ष्म आर्थिक नीति, सूक्ष्म-लघु संतुलन, आर्थिक नीतियों का वितरण प्रभाव, विकास बनाम वृद्धि, वृद्धि और विकास के निर्धारक, एचपीआई/एमपीआई, एचडीआई, पीक्यूएलआई, जीईएम, जीडीआई/जीआईआई, टीएआई, ग्रीन इंडेक्स, संधारणीय विकास जैसी अवधारणाएं, विभिन्न सूचकांकों में भारत की रैंकिंग

पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव-विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे -

- जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी तंत्र, सतत विकास, प्राकृतिक आपदा आदि जैसे शब्द नियमित रूप से समाचारों में दिखाए जाते हैं।
- पर्यावरण विषयों को भूगोल, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान और अर्थव्यवस्था जैसे अन्य विषयों की मूल अवधारणाओं के साथ जोड़ा जा सकता है।
- पर्यावरण को भी नीति और शासन के साथ जोड़ा जा सकता है क्योंकि कई सरकारी योजनाएं प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण के संरक्षण, वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण और प्रदूषण को कम करने आदि से जुड़ी हैं।

(v) नैतिकता और मानव इंटरफ़ेस: मानव कार्यों में नैतिकता का सार, निर्धारक और परिणाम; नैतिकता के आयाम; नैतिकता-निजी और सार्वजनिक संबंधों में। मानवीय मूल्य-महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन और शिक्षाओं से सीख; मूल्यों को विकसित करने में परिवार समाज और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका।

(vi) निर्णय लेना और समस्या समाधान: समस्या की पहचान करना, संभावित समाधानों की पहचान करना, सर्वोत्तम समाधान का चयन करना, अन्य समाधानों को हटाना, निर्णय लेना।

(vii) प्रबंधन सिद्धांत और व्यवहार

प्रबंधन के सिद्धांत (योजना, आयोजन, निर्देशन और नियंत्रण आदि), जॉब विश्लेषण, जॉब विवरण, जॉब विनिर्देश, जॉब डिजाइन, जॉब परिवर्तन, भर्ती, संचार, नेतृत्व, प्रेरणा, बातचीत, वित्तीय प्रबंधन, प्रतिनिधिमंडल, कार्य और नेटवर्किंग, परियोजना मूल्यांकन, कैरियर उन्नति, खरीद, स्टोर, माल सूची प्रबंधन, सुविधाएं और अवसंरचना प्रबंधन

(viii) राष्ट्रीय भूगोल: भारत के मूल तत्व, भौतिक विशेषताएं, नदी प्रणाली, जलवायु, खनिज और उद्योग, कृषि, प्राकृतिक वनस्पति और जीवजंतु, आर्थिक अवसंरचना, मानव भूगोल

पेपर – III

अंग्रेजी/हिंदी-वर्णनात्मक पेपर

(i)	निबंध लेखन (02 प्रश्न)
(ii)	सार लेखन (01 प्रश्न)
(iii)	पत्र/आवेदन पत्र लेखन (01 प्रश्न)

क4. कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी)

कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा - अर्हक प्रकृति का - केवल एसओ (सामान्य/वित्त एवं लेखा/भंडार एवं क्रय) के पदों के लिए (कुल अंक = 100) (समय: 01 घंटा)	
(i)	सीपीटी वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेड शीट, स्लाइड्स जनरेशन आदि में दक्षता का मूल्यांकन करेगा। अभ्यास में एक अनुच्छेद को टाइप करना और/अथवा अन्य वर्ड प्रोसेसिंग अभ्यास शामिल होंगे; स्प्रेडशीट बनाना; पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन और संबंधित अभ्यासों की तैयारी जो किसी कार्यालय के सामान्य दैनिक कामकाज में आवश्यक होते हैं।
(ii)	सीपीटी केवल अर्हक होगा। अभ्यर्थियों को सीपीटी में न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करना आवश्यक है।
(iii)	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले (पीडबल्यूबीडी) अभ्यर्थियों के लिए, सीपीटी के बारे में भारत सरकार/कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के नियमों का पालन किया जाएगा।